क्रमांकः–एफ 3(31)/जांच/पंराविं/करौली/07/383 जयपुर,दिनांक– 13-1-08

आदेश

श्री विजय सिंह मीणा, वार्ड पंच वार्ड संख्या 9, ग्राम पंचायत महस्वा, पंचायत समिति टोडाभीम, जिला करौली विरूद्ध भा.द.स. की धारा–147,148, 323, 452, 326, 326/149 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर आरोप विरचित किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आरोपी को विभाग द्वारा दिनांक 17.10.07, 23.11.07, 6.12.07, 10.12.07, 18.12.07, 22.12.07 एवं 4.1.08 को सुनवाई हेतु नोटिस दिये जाने व नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए हैं, इससे साबित होता है कि उन्हें उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं।

राज्य सरकार द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जाने के कारण उक्त के विरूद्ध राज.पं.राज अधि.1994 की धारा–19(जीजी) के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अतः राज्य सरकार श्री विजयसिंह मीणा, वार्डपंच वार्ड संख्या 9 को राज पं0राज अधिनियम,1994की धारा–19 (जीजी) के तहत निर्रहताओं की श्रेणी में आ जाने पर वार्डपंच पद से अयोग्य घोषित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा–39(2) के अन्तर्गत पद रिक्त घोषित करने के आदेश प्रदान करती है।

आज्ञा से,

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1– विशिष्ठ सहायक, मा0 पंचायती राज राज्य मंत्री महोदय,राज0,जयपुर ।
2– संभागीय आयुक्त, भरतपुर ।
3– जिला कलेक्टर, करौली ।
4– मुख्य/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली ।
5– विकास अधिकारी, पंचायत समिति– टोडाभीम, जिला करौली ।
6– श्री विजय सिंह मीणा, वार्डपंच वार्ड संख्या 9, ग्राम पंचायत महस्वा, पंचायत समिति टोडाभील ,जिला करौली ।
7– आदेश पत्रावली ।

अवर सचिव(जांच)